न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 18/2017

1. ग्राम पंचायत ललानाबास उत्तरादा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जरिये चैयरमैन पता एल. के. लालकोठी योजना, ज्योतिनगर जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–22.07.2024

अपीलांट ग्राम पंचायत ललानाबास उत्तरादा जरिये सरंपाच ग्राम पंचायत ललानावास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढअपील विरूद्व इन्तकाल आदेश दिनांक 05.03.2012 जिसकी रूह से ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा के खसरा नम्बर 382 की 2.086 हैक्ट, गै.मु. कब्रिस्तान की भूमि का इन्तकाल सं0 759 दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में वक्फ सम्पति दर्ज किया गया, को अपास्त करनें बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा का सरंपच है तथा ग्राम पंचायत ललानाबास के द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 05.04.2017 के अन्तर्गत प्रश्नगत इन्तकाल सं0 759 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लिये जो पर यह अपील व्यथित पक्षकार की हैसियत से बतौर अपीलकार प्रस्तुत कर रहा है तथा बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदत किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:32 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा के खसरा नं0 382 तादादी 2.086 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा 5 बिस्वा गौसांई जाति के व्यक्तियों की समाध थी तथा गौसांई जाति के मृतक व्यक्तियों को दफनाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

जाता है। इस कारण यह भूमि राजस्व अभिलेख में समाध कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हुई। पूर्व में यह खसरा नं0 264 था। प्रमाणित प्रतिलिपि जममाबन्दी ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा के खाता सं0 104 सम्बत 2012 से 2016 सलग्न है नकल मिलान क्षेत्रफल सलग्न है।

3. उक्त खसरा नं0 382 आबादी ग्राम ललानाबास उतरादा के चिपता होने के कारण इस भूमि में ग्राम ललानाबास उतरादा के के लोग आबाद हो गये तथा इस भूमि में गऊशाला व पशु चिकित्सालय भी बने व इस भूमि के मध्य से सार्वजनिक सड़क भी निर्मित हुई।

4. इसी खसरा नं0 382 के चिपते खसरा नम्बर 381 की भूमि शमशान घाट के रूप में 6.412 हैक्ट दर्ज है। इस शमशान घाट की भूमि में भी ग्राम ललानाबास उतरादा की आबादी बसी हुई है तथा अनेक व्यक्तियों के नाम पटटे जारी है। अपीलान्ट ने उक्त शामशान घाट की भूमि को आबादी भूमि के रूप में घोषणा set apart करवाने हेतु एंव उसकी एवज में खसरा नम्बर 382 की भूमि में से शमशान घाट दर्ज करवाने की योजना प्रस्तावित की, तब अपीलान्ट को मालुम हुआ कि खसरा नं0 382 की भूमि अपीलाधीन इन्तकाल के जरिये वक्फ सम्पति दर्ज हुई है। मौका पर इस भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निर्माण होने एवं आबादी बस जाने से अपीलान्ट उक्त इन्तकाल सं0 759 के जरिये हुई प्रविष्टि से व्यथित है तथा उक्त इन्तकाल के विरूद्व यह अपील निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है–

(क) अपीलाधीन इन्तकाल सं0 759 दिनांक 05.03.12 कतई गलत –खिलाफ कानुन एवं अनुचित है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित प्रतिलिपि इन्तकाल सं0 759 दिनांक 05.03.2012 संलग्न अपील ज्ञापन है।

(ख) प्रश्नगत खसरा नं. 382 की भूमि मुस्लिम समाज की वक्फ सम्पति नही है बल्कि गुसांई समाज की समाध थी तथा गुसांई जाति के व्यक्तियों का दाहसंस्कार नही किया जाकर उन्हें दफनाया जाता है। इस कारण राजस्व अभिलेख में समाध कबिस्तान दर्ज किया गया। यह तथ्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्बत 2012–2016 से रोशन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:32 IST
Reason: SelfAttested

(ग) रेस्पो0 सं0– 1 ने जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के जिस आदेश क्रमांक 123–29 दिनांक 17.01.2012 का अपीलाधीन इन्तकाल में उल्लेख किया है उसमें पारित निर्देशों की कतई अनदेखी किया है। प्रश्नगत भूमि राजस्थान राज पत्र में दिनांक 18.8.1966 को प्रकाशित वक्फ सम्पति की सूची में वर्णित नही थी तथा ना ही रेस्पो0 सं0 1 ने इस सम्बध में कोई जाँच की। राजस्व अभिलेख में दर्ज "कब्रिस्तान" से यह परिभाषित नही होता कि यह भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मुस्लिम सम्प्रदाय की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2013 से भी यह स्पष्ट है कि यह कि भूमि मुसलमान सम्प्रदाय का कब्रिस्तान नही है बल्कि गुसाईयों की समाध व शमशान भूमि है।

(घ) राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 382 तादादी 2.086 हैक्ट वक्फ सम्पति दर्ज हो जाने से अपीलान्ट आबादी भूमि के विकास हेतु भूमि के set aprat किये जाने की कार्यवाही से वंचित हुआ है। इस कारण व्यक्ति पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

4. अपीलान्ट को अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान खसरा नम्बर 381 की भूमि set aprat करवाने हेतु एंव इसके बदले खसरा नम्बर 382 को शमशान भूमि के नाम दर्ज करने हेतु जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के क्रम से प्रस्ताव लेने हेतु वांछित कार्यवाही के लिए नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से दिनांक 20.03.2017 को प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात अविलम्ब ही अपीलाधीन इन्तकाल की नकल प्रस्तुत कर यह अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा माफ करने एवं यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। दोयम अनवानी प्रकरण मेरीटोरियस है तथा उक्त अनवानी प्रकरण में त्रुटिवश नामान्तरण दर्ज किया गया है, जो कानुनी भूल है, मेरीटोरियस प्रकरण पर मियाद कानूनी तौर पर लागु नहीं होती है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न अपील मिमो है।

5. अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की है जो 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हे कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे व अपीलाधीन इन्तकाल सं0 759 दिनांक 05.03.2012 वाके ग्राम ललानाबास उतरदा को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नोटिस बाद [illegible] प्त। रेस्पोडेन्ट संख्या –02 की तामिल रजिस्टर्ड डाक से के बाद भी उपस्थित नहीं। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या–01 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन ना[illegible]रण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ललानाबास उतरादा के खसरा नं0 382 तादादी 2.086 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा 5 बिस्वा गौसाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जाति के व्यक्तियों की समाध थी तथा गौसांई जाति के मृतक व्यक्तियों को दफनाया जाता है। इस कारण यह भूमि राजस्व अभिलेख में समाध कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हुई। पूर्व में यह खसरा नं0 264 था। जो खाता संख्या 104 की जमावंदी सम्वत 2012 से 2016 से प्रमाणित है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के जिस आदेश क्रमांक 123–29 दिनांक 17.01.2012 का अपीलाधीन इन्तकाल में उल्लेख किया है उसमें पारित निर्देशो को अनदेखा किया है। प्रश्नगत भूमि राजस्थान राजपत्र में दिनांक 18.08.1966 को प्रकाशित वक्फ सम्पति की सूची में वर्णित नही थी। राजस्व अभिलेख में दर्ज "कब्रिस्तान" से यह परिभाषित नही होता कि यह भूमि मुस्लिम सम्प्रदाय की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2013 से भी यह स्पष्ट है कि यह कि भूमि मुसलमान सम्प्रदाय का कब्रिस्तान नही है बल्कि गुसाईयों की समाध व शमशान भूमि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 05.03.2012 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया की नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 05.03.2012 राजस्थान राजपत्र दिनांक 18.08.1966 में प्रकाशित वक्फ सम्पतियों की सूची के क्रमांक 59 पर दर्ज खसरा नं0 264 की 8 बीधा 5 बीस्वा भूमि एंव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक एफ9()()वक्फ सर्वे/ भू.अ./06 /123–129 दिनांक 17.01.2012 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आधार पर दर्ज किया गया है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 05.03.2012 नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 05.03.201 को दर्ज करनें में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे ~~बास~~ लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:32 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)